उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-123/2018/2154/92-2-18-03जॉच/2015
लखनऊ:: दिनांक 16 अगस्त, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार के डेस्टीनेशन डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत जनपद अलीगढ के पर्यटन स्थल अचलताल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा अभिलेखों के अनुसार निरीक्षण न करने, निर्माण कार्य की कमियों को दूर कर संबंधित विभाग को हैण्ड ओवर हेतु प्रयास करने के लिये अधिशासी अभियंता को निर्देश न देने, अपने पदीय दायित्वों के प्रति सजग न रहने आदि अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-151/17/1420/92-2-17-03जांच/15 दि0 11-08-17 द्वारा श्री आर0एस0 गंगवार, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत जांच के सम्पादनार्थ तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग,उ0प्र0 शासन को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/तत्का0 विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-2291 /वि0स0ग्रा0अ0वि0/कैम्प/2017 दि0 04.12.2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। जांच अधिकारी की जांच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित एक मात्र आरोप स्थापित नही पाया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त श्री आर0एस0 गंगवार, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-अलीगढ सम्प्रति मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ पर एक मात्र आरोप स्थापित न पाये जाने के दृष्टिगत श्री गंगवार के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.08.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिवा

संख्या-123/2018/2154(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- श्री आर0एस0 गंगवार, तत्का0 अधी0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-अलीगढ सम्प्रति मुख्य अभियंता (प0क्षे0) ग्रा0अ0वि0 उ0प्र0 लखनऊ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता,(स्था0-1) ग्रा0अभि0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(वी0 के0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in